–:नीलामी सूचना:–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद मुरादाबाद परिसर में विभिन्न प्रजाति के 52 वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी कराये जाने हेतु दिनांक 01 –06–2020 को समय 10:00 बजे नियत की जाती है।

उपरोक्त नीलामी निम्नांकित शर्तो के अधीन आयोजित की जायेगी:–

1–नीलामी बोली के अन्तिम होते ही 25 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नकद जमा कराया जायेगा। इसके लिये चैक/बैंक ड्राफ्ट या हुण्डी स्वीकार नहीं होगी। नीलामी समिति अध्यक्ष बिना कारण बताये ही अन्तिम बोली लगाये जाने वाले व्यक्ति से 25 प्रतिशत के उपर वस्तु के पूर्ण कीमत तक की अर्नेस्ट मनी की मांग कर सकता है।

2–अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा अगली उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकृत की जा सकेगी अथवा पुनः नीलामी की जायेगी, जिस हेतु नीलमी समिति द्वारा लिये गये निणर्यनुसार कार्यवाही की जायेगी। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरूद्व शासन को विधिसम्मत कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3–बोली लगाने वाले व्यक्ति यदि बोली के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो को पूरा नहीं करता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये दायी होगा।

4–सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली के अनुमोदन के पश्चात शेष धनराशि को रिजर्व पुलिस लाइन्स कार्यालय अथवा आंकिक शाखा पुलिस कार्यालय जनपद बिजनौर में 03 दिवस के अन्दर जमा कराना होगा।

5–यदि सफल बोली लगाने वाले निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही सामान को अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित कर दिया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि 25 प्रतिशत जब्त धनराशि को शामिल करते हुये उसकी बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तावित बोली से कम नहीं होगी, अन्यथा नीलामी पुनः की जायेगी। बोली लगाने वाला नीलामी के परिसर के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व पर सामान की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था स्वयं करेगा।

6–सक्षम प्राधिकारी या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में वस्तु/सामान को रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर से उठाया जायेगा।

7–भुगतान हो जाने के बाद निर्धारित अवधि जो सक्षम अधिकारी द्वारा दी जायेगी उस अवधि के अन्दर समस्त वृक्षों को उस अवधि में उठाना आवश्यक होगा अन्यथा एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जायेगा।

8–किसी कर की देयता जो विधि के बकाया हो क्रेता की होगी साथ ही नियमानुसार क्रेता को व्यापार कर/आयकर/स्टाम्प ड्यूटी एवं मण्डी शुल्क आदि देय होने के साथ वृक्षो की पातन अनुमति शुल्क 100/– प्रति वृक्ष की दर से जमा करना अनिवार्य होगा।

9–किसी मुकदमें की स्थिति उत्पन्न होने पर मुरादाबाद क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकेगी।

10–नीलामी धनराशि का 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जनपद बिजनौर के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

11–वृक्षों की नीलामी पर देय सैल्स टैक्स/जीएसटी (या अन्य देयक जो भी हों) नियमानुसार ठेकेदार को जमा करना होगा।

12–नीलामी में दिये गये समय के अन्दर वृक्षों को काटकर उठाना होगा।

13–सिक्योरिटी मनी रूपया 5,000–00 (रूपया पॉच हजार मात्र) को नीलामी तिथि पर टोकन मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

14–वृक्षो के कटान से पूर्व अनुमति प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कार्यालय जनपद मुरादाबाद से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

15–उपरोक्त नीलामी की टोकन मनी रिजर्व पुलिस लाइन्स कार्यालय में नीलामी तिथि से पूर्व जमा कर टोकन नम्बर लेकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।

16–ठेकेदार नीलामी से पूर्व ही नीलामी स्थल पर खडे वृक्षों का भलीभांति निरीक्षण कर लें तथा नीलामी के सामान की जानकारी रिजर्व पुलिस लाइन्स कार्यालय जनपद मुरादाबाद से प्राप्त कर लें अन्यथा इस संबंध में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

17–सशर्त नीलामी स्वीकार नहीं की जायेगी।

18–नीलामी स्वीकृत होने के बाद तत्काल अथवा 03 दिवस के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करानी अनिवार्य होगी धनराशि जमा न करने के फलस्वरूप ठेकेदार द्वारा जमा की गई (टोकन मनी) धनराशि रूपया 5,000–00(रूपया पॉच हजार मात्र) को जब्त कर लिया जायेगा।

19– बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी के समस्त अथवा किसी भी नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

20–अधिकतम बोलीदाता की ही नीलामी राशि स्वीकृत की जायेगी।

उपरोक्त नीलामी हेतु इच्छुक ठेकेदार नीलामी के संबंध में जानकारी करने हेतु कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद मुरादाबाद से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

पत्रांक: भ– 36/2020
दिनांक: मई 22,2020

22/5

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद–मुरादाबाद।